न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **सुनील कुमार I** (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– **180 / 2024** GCMS 2024/329

वादी :–

1. राधेश्याम शर्मा पुत्र गिरधारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी भीमा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल निवासी मोरान डिबरूगढ़ असम

प्रतिवादीगण :–

1. किशनलाल पुत्र कानुत्रराम जाति माली निवासी मकराना तहसील मकराना
2. कुसुम पत्नी वासुदेव लढ़ा जाति माहेश्वरी निवासी कुचामन सिटी
3. गजेन्द्र पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी मकराना
4. गीतादेवी पत्नी गजेन्द्र सैनी जाति माली निवासी मकराना
5. छोटी देवी पत्नी चन्द्राराम जाति जाट निवासी नंगवाड़ा
6. नर्बदा पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी टोडास
7. भागूराम पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी मकराना
8. मीरा देवी पत्नी कुनणाराम जाति जाट निवासी जसराना
9. मोहनी देवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी चारणवास
10. वर्षा पत्नी अश्विनी लढ़ा जाति माहेश्वरी निवासी कुचामन सिटी
11. संतोष देवी पत्नी नरेश जाति जाट निवासी चारणवास
12. सुरेश शर्मा पुत्र नटरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कुचामन सिटी
13. सुवालाल पुत्र नानकराम चौधरी जाति जाट निवासी मोखमपुरा जिला जयपुर
14. सीताराम पुत्र रामनारायण उपाध्याय जाति ब्राह्मण निवासी फोगड़ी तहसील डीडवाना–कुचामन
15. उप पंजीयन अधिकारी कुचामन सिटी
16. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

वाद वास्ते इस्तकरार हक, भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी दिनांक 12.06.2025

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र कुमार किरडोलिया अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी श्री तुलसीराम की ओर से

–:निर्णय :–

दिनांक :– 16/06/2025

प्रार्थीगण श्री तुलछीराम पुत्र नारायणराम व मेहराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कुचामन सिटी ने जरिए अधिवक्ता [illegible] शर्मा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी दिनांक 12.06.2025 पेश कर कथन किया है कि उपरोक्त उनवान का वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। उनवान गजेन्द्र बनाम किशनलाल वगैराह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:52:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

वाद संख्या 259/2023 कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 287 बंटवारा बाबत् श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष किया गया था। जबकि पूर्व में कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 285, 286, 287 की सीमा को लेकर एक प्रार्थना पत्र नारायण बनाम मीरादेवी विचाराधीन था। उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 06/2012 के विचाराधीन होने के दौरान वादीगण ने एक वाद श्रीमान के सम्मुख उनवान गजेन्द्र बनाम किशनलाल प्रस्तुत कर दिया। जिसमें प्रार्थीगण ने प्रतिवादी बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया था। उक्त पत्रावली संख्या 259/2023 श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर के यहां विचाराधीन है। वाद पत्र संख्या 180/2024 भी पूर्व में चल रहे वाद संख्या 259/2023 से संबंधित ही है तथा प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि में हित निहित है। इसलिए हम प्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण को राजस्व वाद पत्र संख्या 180/2024 में पक्षकार संयोजित करवाने के आदेश प्रदान करावें।

वकील वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 01 नियम 10 सीपीसी दिनांक 12.06.2025 पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोन किया गया व बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है और ना ही ऐसा किसी प्रकार का साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे ताहिद हो की प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में हित निहित हो। जिनको वाद में पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक हो। अतः पर्याप्त व आवश्यक हेतुक प्रतीत नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी दिनांक 12.06.2025 अस्वीकार योग्य पाया गया।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी दिनांक 12.06.2025 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:52:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— **सुनील कुमार I** (RAS)

राजस्व वाद संख्या :— **180 / 2024** GCMS 2024/329

वादी :—

1. राधेश्याम शर्मा पुत्र गिरधारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी भीमा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल निवासी मोरान डिबरुगढ़ असम

प्रतिवादीगण :—

1. किशनलाल पुत्र कानुत्रराम जाति माली निवासी मकराना तहसील मकराना
2. कुसुम पत्नी वासुदेव लढ़ा जाति माहेश्वरी निवासी कुचामन सिटी
3. गजेन्द्र पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी मकराना
4. गीतादेवी पत्नी गजेन्द्र सैनी जाति माली निवासी मकराना
5. छोटी देवी पत्नी चन्द्राराम जाति जाट निवासी नंगवाड़ा
6. नर्बदा पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी टोडास
7. भागूराम पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी मकराना
8. मीरा देवी पत्नी कुनणाराम जाति जाट निवासी जसराना
9. मोहनी देवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी चारणवास
10. वर्षा पत्नी अश्विनी लढ़ा जाति माहेश्वरी निवासी कुचामन सिटी
11. संतोष देवी पत्नी नरेश जाति जाट निवासी चारणवास
12. सुरेश शर्मा पुत्र नटरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कुचामन सिटी
13. सुवालाल पुत्र नानकराम चौधरी जाति जाट निवासी मोखमपुरा जिला जयपुर
14. सीताराम पुत्र रामनारायण उपाध्याय जाति ब्राह्मण निवासी फोगड़ी तहसील डीडवाना—कुचामन
15. उप पंजीयन अधिकारी कुचामन सिटी
16. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

वाद वास्ते इस्तकरार हक, भू—विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :— श्री सुरेन्द्र कुमार किरडोलिया अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01, 03, 04 व 07 की ओर से

—:निर्णय :—

दिनांक :— 16/06/2025

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 925 दिनांक 12.06.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक [illegible] की। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। वकील वादी ने बता[illegible] कि [illegible]फिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर [illegible] पत्र के संलग्न दिनांक 16.05.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी कर [illegible] कुचामन[illegible] से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:52:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

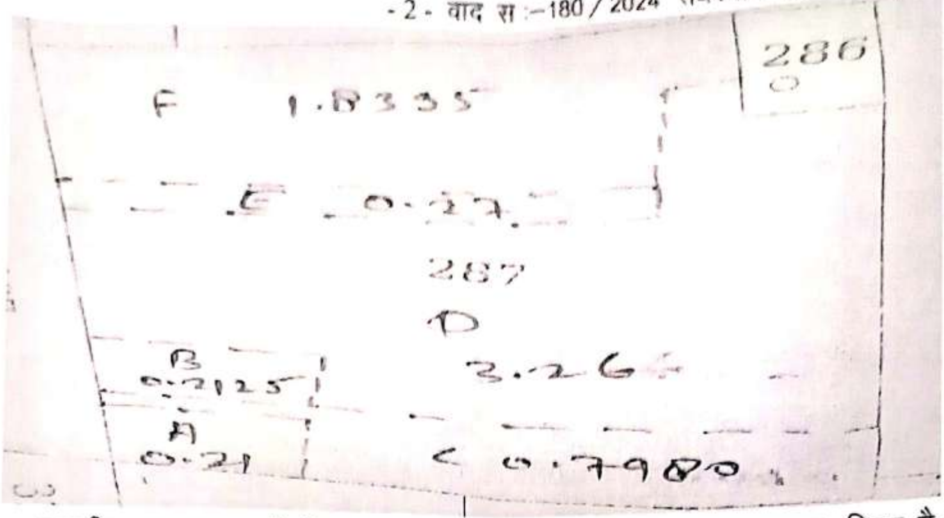

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर उपस्थित पक्षकारान व पड़ौसियो ने उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होना बताया है, उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार कुचामन सिटी पटवार मण्डल कुचामन सिटी तहसील कुचामनसिटी में निम्नवत टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार काबिज है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टयर में	किस्म
1.	गीता देवी पत्नी राजेन्द्र सेनी हिस्सा 100 / 347 गजेन्द्र पुत्र किशनाराम हिस्सा 247 / 347	287 / 1 287 / 2 02	0.21 3.26 3.47	चाही 2 जव 2
2.	राधेश्याम शर्मा पुत्र गिरधारी लाल हिस्सा 1 / 1	287 / 3	0.2125	चाही 2 जाव 2
3.	भागूराम पुत्र किशनाराम हिस्सा 1 / 1	287 / 4	1.8395	चाही 2 जाव 2
4.	कुसुम पत्नी वासुदेव लढ़ा हिस्सा 335 / 10680 किशनलाल पुत्र कानाराम हिस्सा 4509 / 10680 गजेन्द्र पुत्र किशनाराम हिस्सा 3375 / 10680 छोटी देवी पत्नी चन्द्राराम हिस्सा 335 / 10680 नर्बदा पत्नी रामेश्वरलाल हिस्सा 335 / 10680 मीरा देवी पत्नी कुनणाराम हिस्सा 589 / 10680 मोहनी देवी पत्नी भंवरलाल हिस्सा 43 / 10680 वर्षा पत्नी अश्विनी लढ़ा हिस्सा	287 / 5 287 / 6 02	0.27 0.7980 1.0680	चाही 2 जाव 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:52:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

	335 / 10680 सन्तोष पत्नी नरेश हिस्सा 43 / 10680 सुरेश शर्मा पुत्र नटवरलाल शर्मा हिस्सा 279 / 10680 सुवालाल पुत्र नानकराम चौधरी हिस्सा 279 / 10680 सीताराम पुत्र रामनारायण हिस्सा 223 / 10680			

पक्षकारान मौके पर कब्जानुसार ही जोत विभाजन करवाना चाहता है। पक्षकार का कब्जा काश्त नजरी नक्शा एवं टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार दर्शाया गया है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकार का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

–: आदेश :–

वाद पक्षकारान अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर कुचामन सिटी पटवार मण्डल कुचामन सिटी तहसील कुचामनसिटी मे निम्नानुसार टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार पक्षकारान/खातेदारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टयर में	किस्म
1.	गीता देवी पत्नी राजेन्द्र सेनी हिस्सा 100 / 347 गजेन्द्र पुत्र किशनाराम हिस्सा 247 / 347	287 / 1 287 / 2	0.21 3.26	चाही 2 जव 2
		02	3.47	
2.	राधेश्याम शर्मा पुत्र गिरधारी लाल हिस्सा 1 / 1	287 / 3	0.2125	चाही 2 जाव 2
3.	भागूराम पुत्र किशनाराम हिस्सा 1 / 1	287 / 4	1.8395	चाही 2 जाव 2
4.	कुसुम पत्नी वासुदेव लढ़ा हिस्सा 335 / 10680	287 / 5 287 / 6	0.27 0.7980	चाही 2 जाव 2

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:52:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

	किशनलाल पुत्र कानाराम हिस्सा 4509 / 10680 गजेन्द्र पुत्र किशनाराम हिस्सा 3375 / 10680 छोटी देवी पत्नी चन्द्राराम हिस्सा 335 / 10680 नर्बदा पत्नी रामेश्वरलाल हिस्सा 335 / 10680 मीरा देवी पत्नी कुनणाराम हिस्सा 589 / 10680 मोहनी देवी पत्नी भंवरलाल हिस्सा 43 / 10680 वर्षा पत्नी अश्विनी लढ़ा हिस्सा 335 / 10680 सन्तोष पत्नी नरेश हिस्सा 43 / 10680 सुरेश शर्मा पुत्र नटवरलाल शर्मा हिस्सा 279 / 10680 सुवालाल पुत्र नानकराम चौधरी हिस्सा 279 / 10680 सीताराम पुत्र रामनारायण हिस्सा 223 / 10680	02	1.0680		

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 09.06.2025 एवं नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 16/06/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार-I RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:52:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला—डीडवाना—कुचामन (राज.)

बईजलास :— **सुनील कुमार I** (RAS)

राजस्व वाद संख्या :— **180 / 2024** GCMS 2024/329

वादी :—

1. राधेश्याम शर्मा पुत्र गिरधारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी भीमा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल निवासी मोरान डिबरूगढ़ असम

प्रतिवादीगण :—

1. किशनलाल पुत्र कानुत्रराम जाति माली निवासी मकराना तहसील मकराना
2. कुसुम पत्नी वासुदेव लढ़ा जाति माहेश्वरी निवासी कुचामन सिटी
3. गजेन्द्र पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी मकराना
4. गीतादेवी पत्नी गजेन्द्र सैनी जाति माली निवासी मकराना
5. छोटी देवी पत्नी चन्द्राराम जाति जाट निवासी नंगवाड़ा
6. नर्बदा पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी टोडास
7. भागूराम पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी मकराना
8. मीरा देवी पत्नी कुनणाराम जाति जाट निवासी जसराना
9. मोहनी देवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी चारणवास
10. वर्षा पत्नी अश्विनी लढ़ा जाति माहेश्वरी निवासी कुचामन सिटी
11. संतोष देवी पत्नी नरेश जाति जाट निवासी चारणवास
12. सुरेश शर्मा पुत्र नटरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कुचामन सिटी
13. सुवालाल पुत्र नानकराम चौधरी जाति जाट निवासी मोखमपुरा जिला जयपुर
14. सीताराम पुत्र रामनारायण उपाध्याय जाति ब्राह्मण निवासी फोगड़ी तहसील डीडवाना—कुचामन
15. उप पंजीयन अधिकारी कुचामन सिटी
16. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

<u>वाद वास्ते इस्तकरार हक, भू—विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू—बरू वकील श्री सुरेन्द्र कुमार किरडोलिया अधिवक्ता हाजिरी............. मिनजानिब मुदई रू—बरू श्री बिरमाराम चौधरी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद पक्षकारान अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर कुचामन सिटी पटवार मण्डल कुचामन सिटी तहसील कुचामनसिटी में निम्नानुसार टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार पक्षकारान / खातेदारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :—

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टयर में	किस्म
1.	गीता देवी पत्नी राजेन्द्र सैनी हिस्सा 100 / 347 गजेन्द्र पुत्र किशनाराम हिस्सा 247 / 347	287 / 1 28[illegible] [illegible]02	0.21 3.26 3.47	चाही 2 जव 2
2.	राधेश्याम शर्मा पुत्र गिरधारी लाल हिस्सा 1 / 1	287 / [illegible]	0.2125	चाही 2 जाव 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:52:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

3.	भागूराम पुत्र किशनाराम हिस्सा 1/1	287/4	1.8395	चाही 2 जाव 2
4.	कुसुम पत्नी वासुदेव लढ़ा हिस्सा 335/10680 किशनलाल पुत्र कानाराम हिस्सा 4509/10680 गजेन्द्र पुत्र किशनाराम हिस्सा 3375/10680 छोटी देवी पत्नी चन्दाराम हिस्सा 335/10680 नर्बदा पत्नी रामेश्वरलाल हिस्सा 335/10680 मीरा देवी पत्नी कुनणाराम हिस्सा 589/10680 मोहनी देवी पत्नी भंवरलाल हिस्सा 43/10680 वर्षा पत्नी अश्विनी लढ़ा हिस्सा 335/10680 सन्तोष पत्नी नरेश हिस्सा 43/10680 सुरेश शर्मा पुत्र नटवरलाल शर्मा हिस्सा 279/10680 सुवालाल पुत्र नानकराम चौधरी हिस्सा 279/10680 सीताराम पुत्र रामनारायण हिस्सा 223/10680	287/5 287/6 02	0.27 0.7980 1.0680	चाही 2 जाव 2

निज .... मुबलिग .... बाबत.................. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:52:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

-7- वाद सं :-189/2024 [illegible]

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दालेह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा [illegible]			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प [illegible]			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			मय इजराय [illegible]		
मय इजराय [illegible]			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चे का [illegible] के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(सुनील कुमार-I RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:52:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner